न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA068 Mangilal etc Vs Sujaram n ors

1. मांगीलाल पुत्र हेमाराम विश्नोई
2. सुखराम पुत्र हेमाराम विश्नोई
3. जसराज पुत्र हेमाराम विश्नोई
4. इमरताराम पुत्र हेमाराम विश्नोई
5. हरीराम पुत्र हेमाराम विश्नोई

निवासीगण ग्राम पडियाल,
तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. सुजाराम पुत्र कुशालाराम विश्नोई, निवासी ग्राम चाकू, तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. बिरुराम पुत्र कुशालाराम विश्नोई, निवासी ग्राम चाकू, तहसील बाप, जिला जोधपुर
3. रामरखराम पुत्र मेहराजराम विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, जिला जोधपुर
4. पनाराम पुत्र मेहराजराम विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, जिला जोधपुर
5. आसुराम पुत्र मेहराजराम विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, जिला जोधपुर
6. बलवन्ताराम पुत्र रणजीताराम विश्नोई, निवासी ग्राम भोजासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
7. हनुमानराम पुत्र रणजीताराम विश्नोई, निवासी ग्राम भोजासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
8. रतनाराम पुत्र भरमलराम विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. हरीगोपाल पुत्र भरमलराम विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
10. रामलाल पुत्र भरमलराम विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
11. विशालराम पुत्र रामकिशन विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
12. मांगीलाल पुत्र रामकिशन विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. सुखी पत्नी रामकिशन विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

15. संचालक आंगनवाडी केन्द्र हनुमान सागर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
16. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा घंटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर
17. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर
18. ग्राम पंचायत नारायणपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर

----- प्रफोर्मा रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 11 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 118/2016 सुजाराम व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री छैलाराम विश्नोई व हुक्माराम प्रजापत अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पांच तथा 8 से 13 तक

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 14

श्री जी.के.चाण्डा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17

अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2016 सुजाराम व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 25 जून 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरुपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92ए एवं 188 के तहत एक दावा राजस्व ग्राम हनुमान सागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के मूल खसरा संख्या 697 रकबा 243 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 240 रकबा 293 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 64 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 66 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा ग्राम कलथल की भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किये जाने तक किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किये जाकर

1. मूल खसरा संख्या 697 के कुल रकबा 243 बीघा 07 बिस्वा में
    a. ⅓ हिस्सा यानि 81 बीघा 02 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या एक का,
    b. ⅓ हिस्सा यानि 81 बीघा 07 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या 2 का,
    c. प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन को 55 बींधा 18 बिस्वा भूमि का,
    d. प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को 25 बीघा भूमि का, तथा
    e. प्रतिवादी संख्या 12 को प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त 55 बीघा 18 बिस्वा में ⅓ हिस्से में से 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के मूल खसरा संख्या 173 रकबा 525 बीघा 17 बीघा में

   a. ⅓ हिस्सा यानि 171 बीघा 03 बिस्वा में वादी संख्या एक को से 66 बीघा 03 बिस्वा बाबत, 100 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादीगण संख्या 6 से 11 को तथा बकाया 5 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 15 को खातेदार घोषित किया जावे। ⅓ हिस्सा यानि 177 बीघा 05 बिस्वा में से 172 बीघा 5 बिस्वा बाबत वादी संख्या 2 तथा बकाया 5 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या15 को खातेदार घोषित किया जावे।

   b. तृतीय ⅓ हिस्सा यानि 177 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 122 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को, 50 बीघा 02 बिस्वा बाबत प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को तथा बकाया 5 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 15 को खातेदार घोषित किया जावे।

3. ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा संख्या 64 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 66 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा में वादी संख्या 2 व पटवारी संख्या 1 से 3 को ⅓-⅓ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

4. विकल्प में उक्त समस्त आराजिया वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके बंट एवं हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावे।

एवं राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के अलग-अलग खाते कायम किये जाकर राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने बाबत पेश किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद 20 जुलाई 2016 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। 17 मई 2017 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 से 11 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट नारायणपुरा में उपस्थित होकर वाद में इकबालिया जबाबदावा पेश किया। उक्त प्रतिवादीगण की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुरा द्वारा की गयी। इसके बाद दिनांक 12 जनवरी 2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 4 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रिछपालसिंह ने वकालतनामा पेश किया। इन प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जबाबदावा पेश किया जा चुका था, अन्य किसी प्रतिवादी की ओर से जबाबदावा पेश नहीं हुआ, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गयी और मामले में सीधे बहस समायत की गयी तथा दिनांक 18 जनवरी 2018 को वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो का दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने यह आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि

1. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने विभिन्न खसरान की आराजियात के संबंध में राजस्व वाद पेश किया, जिनमें खसरा संख्या 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा भी है, इस खसरा की भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरान की आराजियात के संबंध में अपीलाण्ट्स को कोई एतराज नहीं है।
2. खसरा संख्या 188 रकबा 91 बीघा 14 बिस्वा व 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा व अन्य खसरा के मूल खातेदारान महराज, चन्दा पिसरान भाखर ⅔ हिस्सा व लिच्छू उर्फ बिरु पुत्र फगलु ⅓ हिस्सा वक्त बंदोबस्त दर्ज था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. मूल खातेदारान ने खसरा संख्या 188 रकबा रकबा 91 बीघा 14 बिस्वा व 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि कुल 116 बीघा 14 बिस्वा भूमि का बेचान अपीलाण्ट्स के दादा उदा पुत्र पना को दिनांक 15 मई 1957 को कर दिया था।
4. उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 126 स्वीकृत हुआ और खसरा संख्या 188 सम्पूर्ण 91 बीघा 14 बिस्वा और खसरा संख्या 173 में से 25 बीघा बतौर खसरा संख्या 173/1 राजस्व रिकार्ड में केता के नाम दर्ज किये गये। केता उदा के देहान्त के बाद राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट्स के पिता हेमाराम का नाम जरिये म्युटेशन संख्या 881 दर्ज हुआ। जिसमें खसरा संख्या 173/5 दर्ज किया गया। नाम गलत दर्ज हो जाने से त्रुटि सुधार भी करवाया गया।
5. अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि खसरा संख्या 173 में से अपीलाण्ट्स के दादा को 25 बीघा भूमि बेचान करने के बाद मूल खसरे का रकबा 500 बीघा 17 बिस्वा रहा, जिसका रेस्पो. के मध्य पारिवारिक बंटवारा के आधार पर म्युटेशन संख्या 546 स्वीकृत हुआ, जिसमें भी उक्त खसरा का रकबा 500 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है।
6. उक्त बंटवारे के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 546 के खिलाफ सहखातेदार फगलू द्वारा एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष पेश की गयी, जो अपील संख्या 41/2007 दिनांक 24 जून 2009 को स्वीकार की जाकर म्युटेशन संख्या 546 निरस्त कर दिया गया।
7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के उक्त आदेश दिनांक 24 जून 2009 को न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा द्वियीत अपील संख्या 132/2009 में पारित आदेश दिनांक 05 जुलाई 2012 के द्वारा संपुष्ट किया गया।

8. इस प्रकार अपीलाण्ट्स के पूर्वजों के द्वारा खसरा संख्या 173 में से की गयी 25 बीघा भूमि के खरीद के कारण इस खसरा 25 बीघा रकबे बाबत निरन्तर राजस्व रिकार्ड में उनके पक्ष में इन्द्राज होता रहा, मगर जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में म्युटेशन संख्या 546 ग्राम चाखु निरस्त का नोट अंकित कर नवीन अंकन रेस्पो. के नाम बिना किसी कारण व आधार के कर दिया गया। इस कारण अपीलाण्ट्स द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष भी पेश किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

9. अपीलाण्ट्स के पिता हेमाराम का दिनांक 01 मई 2018 को देहान्त हो चुका है। अतः विधिक वारिसान द्वारा अदालत हाजा के समक्ष यह आलौच्य अपील पेश की गयी है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीपारित करवायी है। अतः आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जिस रजिस्ट्री के आधार पर अपीलाण्ट्स खसरा संख्या 173 में से 25 भूमि कय करना जाहिर करते है, वह रजिस्ट्री फर्जी थी, उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 546 उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत अपील भी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा खारिज की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जा चुकी है, जिससे आगे कोई चाराजोई नहीं की गयी है। राजस्व अभिलेख में म्युटेशन संख्या 546 निरस्त वर्णित कर नवीन इन्द्राजात के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत जो प्रार्थनापत्र अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष पेश किया गया है, वह अभी विचाराधीन है, उस पर अभी कोई अंतिम या अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट्स प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं आलौच्य अपील खारिज किये जावें। अन्य खसरान के संबंध में कोई विवाद नहीं होना स्वयं अपीलाण्ट्स ने अपील मीमों में स्पष्ट कर दिया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील खसरा संख्या 188 एवं 173 की 25 बीघा भूमि के संबंध में पेश की है। खसरा संख्या 188 के संबंध में वादीगण ने अपने वाद में कोई रिलीफ ही नहीं चाही है। अतः इस संबंध में आलौच्य अपील में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 18 जनवरी 2018 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 83/2018 का अलग से निस्तारण किया गया, उक्त अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 18 जनवरी 2018 आराजी खसरा संख्या 173 कुल रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को रिमाण्ड किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जनवरी 2018 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री एवं निर्णय दिनांक 11 मई 2018 एवं उसके खिलाफ प्रस्तुत आलौच्य अपील स्वतः ही सारहीन हो जाने से खारिज हो जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर